# भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

एस.ए.आर. वाद सं0-11/2017-18

(1) प्रधान सोय (2) सुखलाल सोय **बनाम** जयदेव कुम्हार

| दिनांक | पदाधिकारी का आदेश | अभियुक्ति |
|---|---|---|
| 25.1.2018 | | |

यह अभिलेख (1) प्रधान सोय (2) सुखलाल सोय दोनों के पिता स्व0 मंगता सोय मौजा-मरांगहातु, थाना+अंचल-कुचाई, जिला-सरायकेला-खरसावाँ द्वारा निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-71(ए) के अन्तर्गत दायर आवेदन पत्र के आधार पर खुला है।

**भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-**

| मौजा | थाना नं0 | खाता नं0 | खेसरा नं0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| मरांगहातु | 16 | 24 | 217 | $1\frac{1}{2}$ डी0 |

आवेदन पत्र की सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया। विपक्षियों को कारणपृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया एवं अंचल अधिकारी से प्राप्त आवेदन का जाँच प्रतिवेदन की मांग किया गया।

प्रथम पक्ष के लिखित कथन अनुसार आवेदक की उपजाति 'मुण्डा' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है, जो मौजा-मरांगहातु, थाना-कुचाई जिला-सरायकेला-खरसावाँ के निवासी है। आवेदित भूमि मौजा-मरांगहातु, थाना नं0-16, खाता नं0-24, खेसरा नं0-217, रकवा 0.62 एकड़ है, जो आवेदक के दादा स्व0 मंगल सिंह मुण्डा के नाम से हाल सर्वे खतियान में दर्ज है। उपरोक्त भूमि पर विपक्षी जयदेव कुम्हार पिता मोयका कुम्हार मौजा-मरांगहातु, थाना-कुचाई द्वारा अवैध रुप से $1\frac{1}{2}$ डी0 आदिवासी जमीन पर कच्चा मकान बनाकर कब्जा किया गया है। साथ ही विपक्षी से अतिक्रमित भूमि को खाली कराने का अनुरोध किया है।

द्वितीय पक्ष के लिखित कथनानुसार मौजा-मरांगहातु, थाना नं0-16, खाता नं0-24, प्लॉट नं0-217, रकवा-0.05डी0 भूमि एस.ए.आर. वाद सं0-07/09-10 द्वारा निष्पादित हो चुका है। उनका यह भी कहना है कि प्रथम पक्ष द्वारा प्लॉट नं0-218 पर अतिक्रमण दिया गया है, जो उजागार होने पर एस.ए.आर. मुकदमा दायर करते रहता है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

अंचल अधिकारी, कुचाई के पत्रांक 474 दिनांक 21.08.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन ट्रैश नक्शा तथा न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना का तामिला सहित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का संयुक्त जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार मौजा-मरांगहातु, थाना नं0-16, खाता नं0-24, प्लॉट नं0-217 कुल रकवा 0.67 जमीन हाल सर्वे खतियान में प्रथम पक्ष के दादा मंगल सिंह मुण्डा पिता बुद्गा मुण्डा ईत्यादि के नाम से दर्ज है। उक्त 0.67 एकड़ भूमि में से 0.04 एकड़ भूमि पर विपक्षी

जयदेव कुम्हार पिता स्व0 मोयका कुम्हार द्वारा अवैध रुप से खपरापोस मकान एवं घेरान बनाकर कब्जा किया गया है, जो संलग्न ट्रैश नक्शा में लाल रंग से इंगित किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विपक्षी जो गैर आदिवासी है द्वारा अवैध तरीके से खपरापोस मकान एवं घेरान बनाकर दखल किया है। अतः आवेदक के आवेदन को स्वीकृत कर विपक्षी को मौजा–मरांगहातु, थाना नं0–16, खाता नं0–24, प्लॉट नं0–217 में अतिक्रमित रकवा 0.04 एकड़ से बेदखल करने का आदेश दिया जाता है। विपक्षी को यह आदेश दिया जाता है कि आदेश पारित के एक माह के अंदर आवेदित भूमि में से निर्मित संरचना को स्वयं हटा ले अन्यथा ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार खाली करा लिया जायेगा।

आदेश की प्रतिलिपि अंचल अधिकारी, कुचाई को भेजें एवं निर्धारित समय के बाद अनुपालन प्रतिवेदन की मांग करें।

लेखापित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।